::: कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर, जोधपुर :::

ईमेल–dc-jod-rj@nic.in वेबसाईट– www.districts.ecourts.gov.in/jodhpurmetro

क्रमांक–भण्डार / 2024–25 / 113 दिनांकः – 5-6-2024

–: विज्ञप्ति नीलामी अनुपयोगी सामान :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर महानगर में दिनांक 20.06.2024 को प्रातः 12:00 बजे निम्नलिखित अनुपयोगी / नकारा अलमारिया, रैक्स, टेबल्स, कुर्सीया, डक्ट, कूलर इत्यादि की गठित कमेटी द्वारा सार्वजनिक नीलामी की जानी है। नीलामी 'जहां है जैसा है' कि स्थिति में की जाएगी। नीलामी कार्यालय प्रांगण में दिनांक 20.06.2024 को प्रातः 12.00 बजे की जायेगी। **धरोहर राशि रूपये 8,000 / – सुबह 11.00 से 12.00 बजे तक जमा की जायेगी।** सभी नकारा सामान का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता 8000 / – रूपये नकद एवं पेन कार्ड, जी.एस.टी. आधार की फोटो प्रति नीलामी के दिवस को कार्यालय में जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी शर्तें जिला एवं सैशन न्यायालय जोधपुर महानगर की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/ jodhpurmetro पर उपलब्ध है या कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। नीलामी में भाग लेने वाली फर्म / व्यक्ति संस्था का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

क्र.सं.	सामान का विवरण	क्रय मूल्य (अनुमानित)	Earnest Money
1	अलमारिया, डक्ट, रैक्स एवं लोहे / लकड़ी के अनुपयोगी फर्नीचर आईटम्स	4,00,000 / –	8,000 / –

अध्यक्ष
अनुपयोगी सामान निस्तारण समिति
जिला एवं सैशन न्यायालय,
जोधपुर महानगर।

क्रमांक : 114–123 दिनांक : 5-6-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. कम्प्यूटर सेल, जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
2. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
3. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर जिला जोधपुर
4. नोटिस बोर्ड, जिला कलेक्टर, जोधपुर।
5. नोटिस बोर्ड, नगर निगम, जोधपुर
6. नोटिस बोर्ड, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. नोटिस बोर्ड, घण्टाघर, जोधपुर
8. नोटिस बोर्ड, जालोरी गेट चौराहा, जोधपुर
9. कार्यालय पत्रावली।

अध्यक्ष
नकारा सामान निस्तारण कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय
जोधपुर महानगर

कार्यालयः– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर

क्रमांक : भण्डार / 2024–25 / 113. दिनांक 5-6-2024

–: नीलामी सूचना ::–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर के न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों का नकारा सामान जैसे डेजर्ट कूलर, अलमारी, टैबल–कुर्सी इत्यादि व लकड़ी का नकारा सामान जैसे टेबल, स्टूल, कुर्सीया, एवं नकारा सामग्री की (जो जैसी स्थिति में है) नीलाम की जानी है। नीलामी कार्यालय प्रांगण में दिनांक 20.06.2024 को प्रातः 12.00 बजे की जायेगी। सभी नकारा सामान का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है। नीलामी की शर्तो की सूचना कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

1. नकारा समान स्टॉक / रिकोर्ड अनुसार लागत के आधार पर नीलामी समिति द्वारा "जहॉं है जैसा है" के आधार पर की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 20.06.2024 को प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे तक निर्धारित धरोहर राशि 8,000 / – (अक्षरे आठ हजार रूपये) जमा करानी होगी
2. बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म को जी.एस.टी., पेन कार्ड व आधार की प्रति प्रस्तुत करनी होगी, तत्पश्चात् टोकन जारी किया जायेगा। किसी फर्म की तरफ से यदि कोई व्यक्ति उपस्थित होता है तो उस फर्म के लैटर हैड पर बोली लगाने वाले व्यक्ति का ऑथराईजेशन आवश्यक है।
3. अधिकतम बोलीदाता को बोली मूल्य की 25 प्रतिशत राशि तुरंत जमा करवानी होगी। शेष 75 प्रतिशत राशि सामान उठाने से पूर्व जमा करवानी होगी।
4. नीलामी अधिकारी को बिना बताये नीलामी तिथी स्थगित करने का या अन्तिम बोली स्वीकार / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. नीलामी की अन्य शर्ते वक्त नीलामी कमेटी द्वारा बोलकर, पढकर अवगत करवा दी जाएगी।
6. नीलामी योग्य सामान की मात्र बढाई–घटाई जा सकती है।
7. नीलामी की तिथी को अवकाश होने पर नीलामी आगामी कार्यदिवस को सम्पन्न होगी।
8. बोली उपरान्त सफल बोलीदाता को सामग्री 04 दिवस में कार्यालय परिसर से अपने स्वयं के खर्चे / स्तर पर उठवाना आवश्यक है अन्यथा जमा 25 प्रतिशत राशि जब्त मानी जाएगी।
9. बोली में असफल रहे बोलीदाताओं को जमा धरोहर राशि मौके पर ही लौटा दी जाएगी।
10. नीलामी की अधिकतम बोली देने वाले के नाम, नीलामी समाप्त करना या नहीं करना अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन हैं।
11. जिन व्यक्तियों की बोली स्वीकार नहीं होगी उनके द्वारा जमा राशि 8,000 / – रूपये की धरोहर राशि नीलामी समाप्ति के तुरन्त पश्चात् लौटा दी जायेगी।
12. नीलामी बोली लगने के पश्चात् सामान का उचित मूल्य नहीं मिलने पर नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी नीलामी अधिकारी को होगा।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
14. स्वीकृत दर / राशि पर बोलीदाता को जीएसटी व अन्य देय कर पृथक से जमा करवाने होगे व इसकी रसीद प्रस्तुत करनी होगी जिसकी जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगीं व रसीद जमा करवाने के पश्चात् ही नीलामी योग्य सामान उठवाया जाएगा।
15. नीलामी संबंधित पूर्ण अधिकार नीलामी समिति में निहित है। समिति का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।

अध्यक्ष
नकारा सामान निस्तारण कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय
जोधपुर महानगर